

29-12 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेंग उपस्थित। अस्माई
पत्रावली पेश करने जावाब न. I दिनांक 29-6-12
को पेश हो।

29-6-12 पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेंग उपस्थित। अस्माई
निषेधाज्ञा के प्रावधान पर उमम पक्ष के वकीलों
की बहस हुई गई। उमम पक्ष की बहस
तुलने व मंगल करने के बाद तथा पत्रावली
में उपलब्ध सिद्ध व अन्वेषण करने पर
पुकारण में वादग्रस्त आराजीदान पर उमम पक्ष को
अस्माई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करना उचित
समझते हैं। अतः जय अस्माई निषेधाज्ञा उमम
पक्ष को तार्फसला वाद पाबन्द किया जाता है
कि वादग्रस्त आराजी ख. नं. 326 एवं ख. नं. 372
2-05 0-18
ग्राम इराका पर रिफार्ड व सौके की तथा स्थान
के साथे बरेबरे/तथा उक्त आराजी को रूह
वय, या अन्य प्रकार से मुक्तकिल नही करेगे/
आदेश सिनाया गया। पत्रावली फैलन शुकर
होकर नम्बर से काम हो। तथा मूल वाद के
साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल (जिला-करीली)